संख्या-07/2022/पी-177/001-38-9002 002 4 2022

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2022

विषय:-आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0 के प्रोग्राम फण्ड के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र के पैकेज संख्या-यूपी 67135 के मार्ग-पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चै० 0.000 से 61.500 तक) पर आच्छादित रक्षित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 (नेट प्रेजेन्ट वैल्यू) की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किये जाने हेतु धनराशि रु0 5,58,58,625.00 (रु0 पांच करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठावन हजार छ सौ पच्चीस मात्र) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-**702**/एफ-31(2)/यूपीआरआरडीए/2020-21, दिनांक-**27**.05.202**2** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0 के प्रोग्राम फण्ड के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र के पैकेज संख्या-यूपी 67135 के मार्ग-पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चै० 0.000 से 61.500 तक) पर आच्छादित रक्षित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 (नेट प्रेजेन्ट वैल्यू) की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किये जाने हेतु धनराशि रु0 5,58,58,625.00 (रु0 पांच करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठावन हजार छ सौ पच्चीस मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध निम्न विवरण के अनुसार किया गया है।

कार्य का नाम	मार्ग निर्माण से प्रभावित क्षेत्र (हे0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि (रुपये में)	एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये में)	चयनित गैर वन भूमि के सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्थायी स्तम्भों के निर्माण हेतु धनराशि (रुपये में)	कुल धनराशि (रुपये में) (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चै० 0.000 से 61.500 तक)	45.2925	12448290.00	43380251.00	30084.00	5,58,58,625.00

2- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0 के प्रोग्राम फण्ड के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र के पैकेज संख्या-यूपी 67135 के मार्ग-पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चै० 0.000 से 61.500 तक) पर आच्छादित रक्षित वनभूमि के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 (नेट प्रेजेन्ट वैल्यू) की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किये जाने हेतु धनराशि रु0 5,58,58,625.00 (रु0 पांच करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठावन हजार छ सौ पच्चीस मात्र) को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ** का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकतानुरुप संबंधित विभाग को आनलाइन पेमेंट हेतु ही किया जायेगा। इसे आहरित कर किसी बैंक खाते में संचित नही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ** का होगा।

(5) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(6) **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ** द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,58,58,625.00 (रुपये पांच करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठावन हजार छह सौ पच्चीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-013, लेखा शीर्षक 5054043378901 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या यू0ओ0-ई0-2-25/दस-2022-23, दिनांक-01.07.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-07/2022/पी-177/001-38-9002 002 4 2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- निदेशक, स्थलीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

7- ग्राम्य विकास अनुभाग 03, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।